



मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सीआइजी मार्ग, दिल्ली 02

संख्या : ए-49/16/2/2017-राभा

दिनांक : 18/09/2017

प्रेस विज्ञप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय में हिंदी दिवस समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय में दिनांक 14/09/17 को हिंदी दिवस समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन उल्लासपूर्वक किया गया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राज कुमार, महानिदेशक ने की और उन्होंने कार्यालय के दैनंदिन काम-काज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल देते हुए सभी के प्रति हिंदी दिवस की शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

श्री स्वदेश कुमार गर्ग, बीमा आयुक्त ने हिंदी के सरल वाक्यों के प्रयोग पर बल दिया।

इस अवसर पर श्री उपेंद्र शर्मा, अपर आयुक्त(राजभाषा प्रभारी) ने माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार के संदेश का वाचन किया तथा श्री श्याम सुंदर कथूरिया, उप निदेशक(राजभाषा) ने हिंदी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

महानिदेशक महोदय ने निगम मुख्यालय की हिंदी पत्रिका 'पंचदीप भारती' के 14वें अंक का विमोचन किया।

समारोह में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के साथ-साथ केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की प्रतियोगिताओं, हिंदी डिक्शनरी योजना प्रतियोगिता तथा मूल हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।

तत्पश्चात एक हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आमंत्रित चार कवियों ने उपस्थित जनों का मनोरंजन किया।

भारत में क.रा.बी.योजना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम व्यापक सामाजिक सुरक्षा हितलाभ जैसे उचित चिकित्सा देखभाल और रोजगार चोट, बीमारी, मृत्यु इत्यादि जैसी आवश्यकता के समय नकद हितलाभों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराने वाला एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन है। क.रा.बी.अधिनियम उन भवनों/ परिसीमाओं पर लागू होती है जहाँ 10 अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। प्रति माह 21,000/- रुपए का वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी क.रा.बी.अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवर और अन्य हितलाभों के हकदार हैं। यह अधिनियम सम्पूर्ण देश में 8.98 लाख फैक्ट्रीयों और स्थापनाओं में लागू है और श्रमिकों की लगभग 3.19 करोड़ परिवार इकाइयां इससे लाभान्वित होती हैं। इस समय, क.रा.बी.योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 12.37 करोड़ से अधिक है। 1952 में अपने आरम्भ के बाद, क.रा.बी.निगम ने अब तक 151 अस्पतालों, 1467/159 औषधालयों/ भारतीय चिकित्सा इकाइयों, 815 शाखा/ भुगतान कार्यालयों और 64 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय/ प्रभागीय कार्यालयों की स्थापना की है।



Headquarters
Employees' State Insurance Corporation
(ISO 9001-2008 certified)
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

No. A/49/16/2/2017-OL

Date: 18.09.2017

PRESS -RELEASE

ESIC observes Hindi Day and Hindi Kavi Sammelan at its Headquarters, New Delhi

Hindi Day and Kavi Sammelan were celebrated on 14.09.2017 in Headquarters, ESI Corporation with great zeal and enthusiasm.

The programme was presided over by Sh. Raj Kumar, Director General. He conveyed good wishes to all for Hindi Day and emphasized upon the maximum use of Hindi in day to day official activities.

Sh. Swadesh Kumar Garg, Insurance Commissioner also addressed the gathering present there. He stressed on the use of simple Hindi.

On this occasion Sh. Upendra Sharma, Additional Commissioner (In-charge Official Language) read the message of Hon'ble Union Home Minister released on the occasion of Hindi Day. Sh. Shyam Sunder Kathuria, Deputy Director (Official Language) presented Hindi Progress Report. The Director General, ESIC released the 14th edition of Hindi house journal of ESIC 'Panchdeep Bharati'.

In the function, prizes and cash awards were given to the winners of Hindi Fortnight Competitions as well as the winners of different competitions of Kendriya Sachivalya Hindi Parishad Competitions, Hindi Dictation Scheme and Original Hindi Noting -Drafting.

Hindi Kavi Sammelan organized during the occasion enthralled with their recitation of beautiful Hindi poems.

ESI Scheme in India

The Employees' State Insurance Corporation is a pioneer Social Security organization providing comprehensive social security benefits like reasonable Medical Care and a range of Cash Benefits in times of need such as employment injury, sickness, death etc. The ESI Act applies to premises/precincts where 10 or more persons are employed. The employees drawing wages up to Rs.21,000/- a month are entitled to health insurance cover and other benefits, under the ESI Act. The Act now applies to over 8.73 lakh factories and establishments across the country, benefiting about 3.19 crores family units of workers. As of now, the total beneficiary population of ESI Scheme stands over 12.37 crores. Ever since its inception in 1952, the ESI Corporation has, so far, set up 151 Hospitals, 1467/159 Dispensaries /ISM Units, 815 Branch/Pay Offices and 64 Regional & Sub-Regional/Divisional Offices.
